भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1363

उत्तर देने की तारीख-11/12/2023

उच्चतर शिक्षण संस्थानों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंधन संस्थानों और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या के मामलों में वृद्धि

†1363. श्री एस. वेंकटेशन:
श्री रितेश पाण्डेयः
कुंवर दानिश अली:
श्री ए.के.पी. चिनराज:
सुश्री एस. जोतिमणि:
श्री एम.वी.वी. सत्यनारायण:
श्री मद्दीला गुरूमूर्ति:
श्री जयदेव गल्ला:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल के वर्षों में स्कूलों, कॉलेजों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंधन संस्थानों और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के विद्यार्थियों में आत्महत्या के मामलों में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो वर्ष 2014 से ऐसे मामलों का राज्य-वार, विशेष रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का ब्यौरा क्या है;
(ख) वर्ष 2022 और 2023 में अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामलों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में एक समिति गठित करके कोई अध्ययन कराया है और सरकार को यह भी जानकारी है कि कई केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और सरकारी स्कूलों में अभी भी विद्यार्थियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताओं की कमी है;
(घ) यदि हां, तो ऐसी समिति के निष्कर्ष क्या हैं और क्या सरकार ने विद्यार्थियों की आत्महत्याओं के मामले से सक्रिय रूप से निपटने और उनकी संख्या कम करने के लिए राष्ट्रीय आत्महत्या निवारण कार्यनीति के अंतर्गत किन्हीं पूर्व-निर्धारित उपायों/योजनाओं/ पहलों/कार्यक्रमों को लागू किया है/कार्यान्वित करने पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या आंध्र प्रदेश ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव/ज्ञापन प्रस्तुत किया है:
(च) क्या सरकार का सभी केन्द्रीय शैक्षिक संस्थानों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता का संवर्धन) विनियम, 2012 के कार्यान्वयन द्वारा जाति आधारित भेदभाव से निपटने के लिए कानूनी ढांचा तैयार करने का विचार है;

(छ) क्या ऐसे मामले सामने आए हैं जहां विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में परिसर भर्ती के दौरान हाशिए पर रहने वाले समुदायों के विद्यार्थियों से उनकी प्रवेश परीक्षा की रैंक पूछी जा रही थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) वर्ष 2014 से अब तक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास से पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) और (ख) : शिक्षा समवर्ती सूची का विषय होने के कारण शैक्षणिक संस्थाओं का प्रबंधन केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा किया जाता है। देश में अधिकांश शैक्षणिक संस्थाएं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के क्षेत्राधिकार में आती हैं। देश भर में इन सभी संस्थानों के विद्यार्थियों की आत्महत्या के मामलों की राज्य-वार संख्या शिक्षा मंत्रालय द्वारा नहीं रखी जाती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) पुलिस द्वारा दर्ज आत्महत्या के मामलों से आत्महत्या के आंकड़े एकत्र करता है। वर्ष 2022 में छात्रों की आत्महत्याओं की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा एनसीआरबी की भारत में दुर्घटनात्मक मृत्यु और आत्महत्या (एडीएसआई), 2022 रिपोर्ट में उपलब्ध है, जो https://ncrb.gov.in/uploads/nationalcrimerecordsbureau/custom/adsiyearwise_2022/1701611156012ADSI2022Publication2022.pdf पर प्राप्य है।

(ग) और (घ): एनसीआरबी की भारत में दुर्घटनात्मक मृत्यु और आत्महत्या (एडीएसआई), **2022** रिपोर्ट के अनुसार, आत्महत्याओं के विभिन्न कारण जैसे व्यावसायिक/कैरियर समस्याएं, अलगाव की भावना, दुर्व्यवहार, हिंसा, पारिवारिक समस्याएं, मानसिक विकार, शराब की लत, वित्तीय नुकसान, दीर्घकालिक दु:ख आदि हैं।

सरकार शैक्षणिक संस्थानों के परिसरों में आत्महत्या की प्रत्येक घटना को सर्वोच्च महत्व देती है और इस संबंध में कई पहलें शुरू की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में आगे कहा गया है कि छात्रों के कल्याण जैसे फिटनेस, अच्छा स्वास्थ्य, मनो-सामाजिक कल्याण और सुदृढ़ नैतिक आधार को प्रोत्साहन देने वाली क्षमताओं का विकास भी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और मानसिक दबाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें छात्रों के लिए खेल, संस्कृति/कला क्लब, इको-क्लब, गतिविधि क्लब, सामुदायिक सेवा परियोजनाओं आदि में भाग लेने के अवसरों का भी प्रावधान है।

छात्रों के हितों की रक्षा के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियमन, 2023 तैयार किए गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षण

संस्थानों में रैगिंग के खतरे की रोकथाम हेतु यूजीसी विनियमन, 2009 को भी अधिसूचित किया था और वर्ष 2016 में इसमें संशोधन किया गया था तथा विनियमों का सख्ताई से अनुपालन हेतु परिपत्र जारी किए गए थे। कोविड के दौरान और उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के मुद्दे के निराकरण हेतु, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने दिनांक 05.04.2020 को उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) को परामर्शिका जारी की थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति, 2021 भी परिचालित की है। यूजीसी ने दिनांक 13.04.2023 को एचईआई में शारीरिक फिटनेस, खेल, छात्रों के स्वास्थ्य, कल्याण, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।

उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग को रोकने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 12 भाषाओं में एक 24x7 राष्ट्रव्यापी टोल फ्री रैगिंग रोधी हेल्पलाइन 1800-180-5522 स्थापित की है जिसका उपयोग रैगिंग से संबंधित घटनाओं के कारण परेशानी में फंसे छात्र कर सकते हैं।

शिक्षा मंत्रालय ने शैक्षणिक तनाव को कम करने हेतु छात्रों के लिए पीयर असिस्टेड लर्निंग, क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा शुरू करने जैसे अन्य कई कदम उठाए हैं। मनोदर्पण नामक एक पहल में कोविड प्रकोप के दौरान और उससे बाद मानसिक और भावनात्मक कल्याण के लिए छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने हेतु गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इसके अतिरिक्त, मनोवैज्ञानिक तनाव के मामलों का शीघ्र पता लगाने के लिए आईआईटी और अन्य संस्थानों में छात्रों की विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श हेल्पलाइन, छात्र कल्याण केंद्र, मित्र-सहायता प्रणाली और विभिन्न अन्य उपाय लागू किए गए हैं।

मंत्रालय ने दिनांक 10.07.2023 को उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों के भावनात्मक और मानसिक कल्याण के लिए एक व्यापक रूपरेखा भी परिचालित की है, जिसमें संस्थागत कामकाज में इसे शामिल करने और छात्र समुदाय में आत्मविश्वास की भावना पैदा करने हेतु सक्रिय सुधार लाने का अनुरोध किया गया है।

उच्च शिक्षण संस्थाएं विभिन्न कदम उठाती हैं जैसे खुशी एवं कल्याण संबंधी कार्यशालाएं/संगोष्ठियां आयोजित करना, योग पर नियमित सत्र, प्रेरण कार्यक्रम, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों सहित पाठ्येतर गतिविधियां, छात्रों के छोटे समूह के लिए उनकी शिक्षा में सहायता एवं उनकी प्रगति की निगरानी हेतु एक संकाय सलाहकार नियुक्त करना और समग्र व्यक्तित्व विकास तथा छात्रों को तनाव मुक्त करने के लिए छात्र परामर्शदाताओं की नियुक्ति करना। इसके अतिरिक्त, छात्रों, वार्डन

और देखभाल करने वालों को साथी छात्रों में अवसाद के लक्षणों को अधिकारियों के सामने लाने के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है ताकि समय पर रोग-विषयक परामर्श प्रदान किया जा सके।

(ङ): आन्ध्र प्रदेश राज्य से इस संबंध में ऐसा कोई प्रस्ताव/ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

(च) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यूजीसी (उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा) विनियमन, 2012 को अधिसूचित किया है जो यूजीसी के अधिकार-क्षेत्र में आने वाले सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) पर लागू होता है और एचईआई को छात्रों के हितों की रक्षा के लिए बिना किसी जाति, पंथ, धर्म, भाषा, जातीयता, लिंग और दिव्यांगता पूर्वाग्रह के सुधार हेतु प्रावधान करता है। उपरोक्त के अलावा, यूजीसी ने दिनांक 29.06.2016 को तीसरे संशोधन द्वारा अपने रैगिंग-रोधी विनियमन में संशोधन किया है जो रैगिंग में सभी जाति आधारित भेदभाव को कवर करता है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के किसी भी मुद्दे का सक्रियता से समाधान करने हेतु संस्थानों ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्र प्रकोष्ठ, समान अवसर प्रकोष्ठ, छात्र शिकायत प्रकोष्ठ, छात्र शिकायत समिति, छात्र सामाजिक क्लब, संपर्क अधिकारी, संपर्क समिति आदि जैसे तंत्र स्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विद्यार्थियों के बीच समानता और बंधुत्व को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किए हैं।

(छ): हाशिए पर रहने वाले समुदायों के छात्रों को कैंपस भर्ती के दौरान अपने प्रवेश परीक्षा रैंक का खुलासा करने के लिए नहीं कहा जाता है।

(ज) : उच्च शिक्षा क्षेत्र में छात्रों के पास बहु विकल्प होते हैं और वे विभिन्न संस्थानों में और एक ही संस्थान में एक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम से दूसरे में स्थानांतरित होने का विकल्प चुनते हैं। यदि कोई प्रवासन/वापसी हो, वह मुख्य रूप से छात्रों द्वारा अपनी पसंद के अन्य विभागों/संस्थानों में सीट सुरक्षित करने या किसी व्यक्तिगत आधार पर होती है। आईआईटी मद्रास द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2014 से 9595 विद्यार्थियों के नामांकन में से पाठ्यक्रमों से नाम वापस लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या पूर्व-स्नातक कार्यक्रम में 44 (0.45%) है जो कि अधिकांश द्वारा किसी अन्य संस्थान में शामिल होने और शेष व्यक्तिगत एवं स्वास्थ्य कारणों से है।

*****